

संदर्भ: आईआरडीएआई/आईआईडी/सीआईआर/विविध/177/10/2023

Ref: IRDAI/IID/CIR/MISC/177/10/2023

दिनांक / Date: 10.10.2023

परिपत्र
CIRCULAR

विषय: - धन-शोधन निवारण / आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने संबंधी मास्टर दिशानिर्देशों का संशोधन

Sub: - Amendment to Master Guidelines on Anti-Money Laundering / Counter Financing of Terrorism (AML/CFT) 2022

1. यह प्राधिकरण द्वारा संदर्भ: आईआरडीएआई/आईआईडी/जीडीएल/विविध/160/8/2022 दिनांक 1 अगस्त, 2022 के अनुसार जारी किये गये एएमएल/सीएफटी संबंधी मास्टर दिशानिर्देश, 2022 के संदर्भ में है।

This has reference to Master Guidelines on AML/CFT, 2022 issued by the Authority vide Ref: IRDAI/IID/GDL/MISC/160/8/2022 dated 1st August, 2022.

2. इस संबंध में समीक्षा करने के बाद उक्त मास्टर दिशानिर्देशों के कुछ उपबंध आशोधित किये गये हैं जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है।

In this regard, on review, certain provisions of the Master Guidelines shall stand modified as mentioned below.

क) पैरा 2.2 के बाद, निम्नलिखित पैरा निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् –

A) After para 2.2, the following para shall be inserted, namely –

“2.2क यदि ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी अथवा आईआरडीएआई द्वारा विनिर्दिष्ट एएमएल / सीएफटी मानकों तथा मेजबान देश के विनियमनकर्ताओं द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों में अंतर है, तो विनियमित संस्थाओं की विदेशी शाखाएँ / बहुमत द्वारा स्वामित्व-प्राप्त सहायक संस्थाएँ उक्त दोनों में से अधिक कठोर अपेक्षाओं को अपनाएँगी। यदि मेजबान देश गृह-देश की आवश्यकताओं के अनुरूप एएमएल / सीएफटी उपायों के उचित कार्यान्वयन की अनुमति नहीं देता, तो वित्तीय समूह धन-शोधन निवारण / आतंकवाद के वित्तपोषण के मुकाबले से संबंधित जोखिमों का प्रबंध करने के लिए उपयुक्त अतिरिक्त उपाय लागू करेंगे, और आईआरडीएआई को सूचित करेंगे।”

“2.2A In case there is a variance in Client Due Diligence or AML / CFT standards specified by IRDAI and the standards specified by regulators of the host country, foreign branches / majority-owned subsidiaries of the regulated entities shall adopt the more stringent requirements of the two. If the host country does not permit the proper implementation of AML / CFT measures consistent with the home country requirements, financial groups shall apply appropriate additional measures to manage the Money Laundering / Terrorist Financing risks, and inform IRDAI.”

ख) पैरा 4.5 के बाद, निम्नलिखित पैरा निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् –

B) After para 4.5, the following para shall be inserted, namely –

“4.6 वित्तीय समूह एमएल / टीएफ के विरुद्ध समूह-व्यापी कार्यक्रम लागू करेंगे, जो वित्तीय समूह की सभी शाखाओं और बहुमत द्वारा स्वामित्व-प्राप्त सहायक संस्थाओं के लिए लागू होंगे तथा उनके लिए उपयुक्त होंगे। इन्हीं में शामिल होंगे:

“4.6 Financial groups shall implement group-wide programmes against ML / TF, which should be applicable, and appropriate to, all branches and majority-owned subsidiaries of the financial group. The same shall include:

(क) सीडीडी और एमएल/टीएफ जोखिम प्रबंध के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित सूचना की साझेदारी करने के लिए नीतियाँ और क्रियाविधियाँ;

(a) policies and procedures for sharing information required for the purposes of CDD and ML/TF risk management;

(ख) जब एएमएल / सीएफटी प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो तब शाखाओं और सहायक संस्थाओं से ग्राहक, लेखा, और लेनदेन संबंधी सूचना समूह-स्तरीय अनुपालन, लेखा-परीक्षा, और / या एएमएल / सीएफटी संबंधी कार्यों हेतु प्राप्त करने की व्यवस्था। इसमें ऐसे लेनदेनों या कार्यकलापों की सूचना और विश्लेषण शामिल किया जाना चाहिए जो असाधारण प्रतीत होते हैं (यदि ऐसा विश्लेषण किया गया हो)। इसी प्रकार, शाखाएँ और सहायक संस्थाएँ इन समूह-स्तरीय कार्यों से संबंधित ऐसी सूचना प्राप्त करें जब वे जोखिम प्रबंध के लिए संगत और उपयुक्त हों; तथा

(ब) the provision, at group-level compliance, audit, and/or AML / CFT functions, of customer, account, and transaction information from branches and subsidiaries when necessary for AML / CFT purposes. This should include information and analysis of transactions or activities which appear unusual (if such analysis was done). Similarly, branches and subsidiaries should receive such information from these group-level functions when relevant and appropriate to risk management; and

(ग) गुप्त पूर्व-सूचना (टिप्पिंग आफ़) का निवारण करने के लिए रक्षोपायों सहित, विनिमय की गई सूचना की गोपनीयता और उपयोग के संबंध में पर्याप्त रक्षोपाय।”

(c) adequate safeguards on the confidentiality and use of information exchanged, including safeguards to prevent tipping-off.”

ग) पैरा 8.2.2 के प्रथम उप-पैरा में शब्द “पूर्व में प्राप्त” के बाद निम्नलिखित को निविष्ट किया जाएगा।

C) In the first sub-para of para 8.2.2, the following shall be inserted after the words “previously obtained”.

“इस प्रकार से कि विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए, ग्राहकों के विषय में समुचित सावधानी के अंतर्गत संगृहीत सूचना अथवा डेटा को अद्यतन और सुसंगत रखा जाना चाहिए।”
“such that the information or data collected under client due diligence is kept up-to-date and relevant, particularly for high risk clients.”

घ) पैरा 8.2.4.2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

D) The para 8.2.4.2 shall be substituted with the following.

“8.2.4.2 भुगतान करने से पहले यदि अपेक्षित हो तो ग्राहक के संबंध में आवश्यक समुचित सावधानी लाभार्थी स्वामी, यदि कोई हो, सहित पालिसीधारकों / लाभार्थियों / विधिक वारिसों / समनुदेशितियों में से संचालित की जानी चाहिए। यदि बीमाकर्ता यह निर्धारित करते हैं कि लाभार्थी भुगतान के समय उच्चतर जोखिम प्रस्तुत करता है, तो यदि आवश्यक हो तो संवर्धित समुचित सावधानी सहित लाभार्थी के हिताधिकारी स्वामी का अभिनिर्धारण और सत्यापन करने के लिए उचित उपाय करेंगे।

“8.2.4.2 Necessary client due diligence, if required, should be carried out of the policyholders / beneficiaries / legal heirs / assignees including beneficial owner, if any, before making the pay-outs. Insurers shall take reasonable measures to identify and verify the identity of the beneficial owner of the beneficiary including Enhanced Due Diligence, if required, in case the Insurers determine that a beneficiary presents a higher risk, at the time of payout.

बीमा व्यवसाय में बीमाकर्ता ग्राहक और हिताधिकारी स्वामी के लिए आवश्यक सीडीडी उपायों के अतिरिक्त, लाभार्थी की पहचान / नामोल्लेख किये जाने पर शीघ्र ही जीवन बीमा पालिसियों के लाभार्थी के संबंध में निम्नलिखित सीडीडी उपाय संचालित करेंगे:

In insurance business, Insurers shall, in addition to the CDD measures required for the client and the beneficial owner, conduct the following CDD measures on the beneficiary of Life insurance policies, as soon as the beneficiary is identified / designated:

(i) बीमाकर्ता जैसे ही जीवन पालिसी के लाभार्थी की पहचान एक विशिष्ट रूप से नामित प्राकृतिक व्यक्ति, विधिक व्यक्ति अथवा विधिक व्यवस्था के रूप में की जाती है, ऐसे लाभार्थी के किन्हीं उपनामों सहित उसका पूरा नाम प्राप्त करेगा;

Insurer shall, as soon as a beneficiary of a life policy is identified as a specifically named natural person, legal person or legal arrangement, obtain the full name, including any aliases, of such beneficiary;

(ii) ऐसे लाभार्थी के लिए, जिसे विशिष्टताओं अथवा वर्ग अथवा किसी अन्य प्रकार से नामोदिष्ट किया गया हो, बीमाकर्ता स्वयं इस बात के लिए संतुष्ट होने के लिए लाभार्थी से संबंधित पर्याप्त सूचना प्राप्त करेगा कि वह भुगतान के समय लाभार्थी की पहचान को प्रमाणित कर सकेगा;

For beneficiary that is designated by characteristics or by class or by other means, the Insurer shall obtain sufficient information concerning the beneficiary to satisfy itself that it will be able to establish the identity of the beneficiary at the time of the payout

(iii) उपर्युक्त दोनों स्थितियों के लिए – लाभार्थी की पहचान का सत्यापन भुगतान के समय किया जाना चाहिए।

for both the above cases - the verification of the identity of the beneficiary should occur at the time of the payout.”

इ) पैरा 8.2.5 के बाद, निम्नलिखित पैरा निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् –

E) After para 8.2.5, the following para shall be inserted, namely –

“8.2.6 जहाँ बीमाकर्ता धन-शोधन अथवा आतंकवाद के वित्तपोषण का संदेह करता है, तथा वह युक्तिसंगत रूप से विश्वास करता है कि सीडीडी प्रक्रिया का निष्पादन ग्राहक को गुप्त रूप से चेतावनी देगा, वहाँ वह सीडीडी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करेगा, तथा इसके स्थान पर वह एफआईयू-आईएनडी के पास एक एसटीआर फाइल करेगा।”

“8.2.6 Where Insurer forms a suspicion of money laundering or terrorist financing, and it reasonably believes that performing the CDD process will tip-off the customer, it shall not pursue the CDD process, and instead file an STR with FIU-IND.”

- च) पैरा 13 से निम्नलिखित उप-पैरा हटाया जाएगा।
F) The following sub-para shall be deleted from para 13.
- “जहाँ बीमाकर्ता अन्य पक्षकार पर निर्भर है जो उसी वित्तीय समूह का अंग है, वहाँ उसे ग्राहक के केवाईसी दस्तावेज अथवा ग्राहक के संबंध में समुचित सावधानी की जानकारी 15 दिन के अंदर प्राप्त करनी चाहिए।”
“Where Insurer relies upon third party that is part of the same financial group, they should obtain KYC documents or the information of the client due diligence within 15 days.”
- छ) पैरा 14.2 को निम्नलिखित पैरा से प्रतिस्थापित किया जाएगा –
G) The para 14.2 shall be substituted with the following para –
- “14.2 बीमाकर्ताओं को निदेश दिया जाता है कि वे पीईपी तथा ऐसे ग्राहकों के संबंध में, जो पीईपी के पारिवारिक सदस्य, करीबी रिश्तेदार / सहयोगी हैं, एक निरंतर आधार पर पहचान करने और संवर्धित समुचित सावधानी के उपाय करने के लिए उपयुक्त निरंतर जोखिम प्रबंध प्रक्रियाएँ निर्धारित करें। ये उपाय उन बीमा संविदाओं के लिए भी लागू किये जाने चाहिए जिनके संबंध में पीईपी अंतिम हिताधिकारी स्वामी है(हैं)।”
“14.2 Insurers are directed to lay down appropriate on-going risk management procedures for identifying and applying enhanced due diligence measures on an on-going basis to PEPs and customers who are family members, close relatives / associates of PEPs. These measures are also to be applied to insurance contracts of which a PEP is the ultimate beneficial owner(s).”
- ज) पैरा 14.3 के बाद, निम्नलिखित पैरा निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् –
H) After para 14.3, the following para shall be inserted, namely -
- “14.4 बीमाकर्ता पीईपी के रूप में अभिनिर्धारित ग्राहकों और हिताधिकारी स्वामियों की संपत्ति के स्रोत तथा निधियों के स्रोत को प्रमाणित करने के लिए उचित उपाय करेंगे।”
“14.4 Insurers shall take reasonable measures to establish the source of wealth and the source of funds of customers and beneficial owners identified as PEPs.”
- झ) पैरा 15.1 में, पैरा 15.1.3 के बाद, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ निविष्ट किया जाएगा-
I) In para 15.1, after the para 15.1.3, the following sub-paragraph shall be inserted
- “बीमाकर्ता ऐसे उत्पादों, प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों का प्रारंभ अथवा उनका उपयोग करने से पहले एमएल / टीएफ जोखिम निर्धारण करेंगे तथा जोखिमों का प्रबंध और न्यूनीकरण करने के लिए उपयुक्त उपाय करेंगे।”
“Insurers shall undertake ML / TF risk assessment prior to the launch or use of such products, practices and technologies and take appropriate measures to manage and mitigate the risks.”
- ज) पैरा 17.1 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:
J) The para 17.1 shall be substituted with the following:
- “17.1 उन देशों से संबंधित प्राकृतिक और विधिक व्यक्तियों (वित्तीय संस्थाओं सहित) व्यावसायिक संबंधों और लेनदेनों के विषय में जोखिमों के लिए आनुपातिक तौर पर ईडीडी उपाय विशिष्ट रूप से लागू करें, जिनके लिए एफएटीएफ द्वारा इसकी माँग की गई हो।”

“17.1 Specifically apply EDD measures, proportionate to the risks, to business relationships and transactions with natural and legal persons (including financial institutions) from countries for which this is called for by the FATF.”

- ट) पैरा 18.4 में “किसी भी स्तर पर ग्राहक” के बाद निम्नलिखित वाक्य निविष्ट किया जाएगा
K) The following sentence shall be inserted in para 18.4 after “customer at any level.”.

“गोपनीयता की आवश्यकता समूह में स्थित संस्थाओं के बीच सूचना की साझेदारी का निषेध नहीं करती।”

“Confidentiality requirement does not inhibit information sharing among entities in the group.”

हस्ता. / Sd/-

(निमिषा श्रीवास्तव / Nimisha Srivastava)

(महाप्रबंधक / General Manager)

(बीमा समावेशन और विकास विभाग)

(Insurance Inclusion and Development Department)